FTS: 66/

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. Administration of DNH & Daman and Diu
राजभाषा विभाग, दमण / Official Language Department, Daman

===

सं. रा.भा.7(2)/अनु.कार्र./2021/137 दिनांक :-27/12/2021

परिपत्र / Circular

विषय :- हिंदी में नियमानुसार मूल रूप से 90% पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने के बारे में।

संदर्भ:- सं.रा.भा.7(10)/नराकास बैठक/2021/127 दिनांक :- **14/12/2021**

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी सदस्य कार्यालय अध्यक्षों को यह सूचित करना है कि दिनांक 14/12/2021 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति और राजभाषा कार्यान्वियन समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कार्यवृत्त मद संख्या 2 के संबंध में माननीय प्रशासक के सलाहकार एवं अध्यक्ष (नराकास) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव भाषाई वर्गीकरण के अनुसार 'ख' क्षेत्र में होने के करण सभी कार्यालय अध्यक्ष हिंदी में 90% पत्राचार करना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि पत्राचार में सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए। हिंदी में मूल रूप से पत्राचार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर राजभाषा विभाग से संपर्क करें।

27/12/2021

(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (राजभाषा),
दमण

सेवा में,

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति और राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सभी सदस्य, दमण एवं सिलवासा

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. माननीय प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दमण।
2. माननीय प्रशासक के सलाहकार की निजी सहायक, सचिवालय, दमण|
3. सचिव (वित्त एवं राजभाषा) के निजी सहायक, सचिवालय, दमण।
4. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण एवं सिलवासा।
5. उप-निदेशक (कार्यान्वियन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय (पश्चिम), केंद्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या- 601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614
6. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।